न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/82/2024	2024/136	28.11.2024	27.06.2025

01. प्रवर्तन अधिकारी, मुख्यालय अलवर जिला अलवर (राजस्थान) ।

—प्रार्थी

बनाम

01. श्री सियाराम गुर्जर पुत्र श्री शिवराम गुर्जर, निवासी ग्राम कमालपुर, तहसील व जिला अलवर राज0।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 "ए" आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 18 घरेलू गैस सिलेण्डर, 1 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर एवं 1 अप्रमाणित गैस सिलेण्डर, कुल 20 गैस सिलेण्डरों को राजसात करने बाबत।

उपस्थिति :—

1. प्रवर्तन अधिकारी —विभागीय प्रतिनिधि।
2. श्री विमल जैन —अप्रार्थी अधिवक्ता।

—:: निर्णय ::—

प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 18 घरेलू गैस सिलेण्डर 1 8 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर एवं 1 अप्रमाणित गैस सिलेण्डर कुल 20 गैस सिलेण्डरों को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6 "ए" प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 28.10.2024 को श्रीमान् जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार मैं श्री रणधीर सिंह, प्रवर्तन अधिकारी बहमराह श्री विनोद जुनेजा, प्रवर्तन अधिकारी, श्री कृष्ण कुमार बॉयला, प्रवर्तन निरीक्षक घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरूपयोग की जांच हेतु श्री सियाराम गुर्जर पुत्र श्री शिवराम गुर्जर, निवासी ग्राम कमालपुर, तहसील अलवर, जिला अलवर की श्री राधे इलैक्ट्रीकल्स एवं बर्तन भण्डार, लोहिया का तिबारा, जिला अलवर स्थित दुकान पर पहुंचे। मौके पर श्री सियाराम गुर्जर पुत्र श्री शिवराम गुर्जर, निवासी ग्राम कमालपुर, तहसील अलवर, जिला अलवर उपस्थित मिले। श्री सियाराम गुर्जर पुत्र श्री शिवराम गुर्जर की दुकान पर 18 घरेलू गैस सिलेण्डर 1 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर एवं 1 अप्रमाणित गैस सिलेण्डर कुल 20 गैस सिलेण्डर्स अवैध रूप से संग्रहित मिले। जिसका व्यावसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। फर्द अभिग्रहण एवं फर्द सुपुर्दगीनामा पृथक से तैयार किया गया।

श्री सियाराम गुर्जर पुत्र श्री शिवराम गुर्जर वक्त जांच घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेण्डर के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री सियाराम गुर्जर पुत्र श्री शिवराम गुर्जर के द्वारा घरेलू सिलेण्डर व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोग किया जा रहा था, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्तानुसार 18 घरेलू गैस सिलेण्डर 1 8 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर एवं 1 अप्रमाणित गैस सिलेण्डर कुल 20 गैस सिलेण्डर्स को वजह सबूत कब्जेराज लिया गया। मौके पर उक्त कब्जेराज 18 घरेलू गैस सिलेण्डर 1 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर एवं 1 अप्रमाणित गैस सिलेण्डर कुल 20 गैस सिलेण्डर्स को मै० रिद्धि–सिद्धि गैस एजेंसी, अलवर के प्रतिनिधि श्री मुकुट सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह, ग्राम तसई, तहसील कठूमर, जिला अलवर, राजस्थान को सुपुर्द किया गया।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 18 घरेलू गैस सिलेण्डर 1 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर एवं 1 अप्रमाणित गैस सिलेण्डर कुल 20 गैस सिलेण्डर्स को राजसात करने की कृपा करें।

न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को जारी नोटिस के संबंध में अप्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता लिखित जवाब प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी की एक पुश्तैनी जायदाद लोहिया का तिबारा अलवर में है, जिसमें प्रार्थी के हिस्से के करीब 35 कमरे में है, जिनमें एमआईए फैक्ट्री की लेबर व आस पास के लोग भी किराये पर रहते है और जो सिलैण्डर जब्त किये गये हैं वो उन किरायेदारों के ही है, जिनके अपने अपने गैस सिलैण्डर हैं जिनके दस्तावेज भी मौजूद हैं जिनकी प्रति संलग्न कर प्रस्तुत की जा रही है। प्रार्थी अपने हिस्से की जायदाद में ही श्रीराधे इलैक्ट्रिक व बर्तन भण्डार के नाम से दुकान करता है तथा फैक्ट्री की लेबर जब बाहर जाती है तो अपने सिलैण्डर प्रार्थी की दुकान पर रख जाते हैं जिससे कि पीछे से सिलेण्डरों को भरवाया जा सके। इसलिए जब्तशुदा सिलेण्डर में से 5 घरेलू गैस सिलैण्डर भरे हुए हैं तथा एक सिलैण्डर 19 केजी का कॉमर्शियल है, जो सिलैण्डर सामने एक चाय की थड़ी वाले का है, जिसका नाम रामसिंह निवासी कमालपुर का है, जिसके भी कनैक्शन के दस्तावेज मौजूद हैं तथा जो एक सिलेण्डर अप्रमाणित बताया गया है, वह 5 लीटर का है जो भी किरायेदार का रखा हुआ था।

प्रार्थी इलैक्ट्रिक व बर्तन का काम करता है, गैस सिलैण्डर से सम्बन्धित प्रार्थी कोई काम नहीं करता है। प्रवर्तन अधिकारी महोदय को वक्त निरीक्षण समस्त तथ्यों से अवगत करा दिया गया था व दस्तावेज भी दिखा दिये गये थे फिर भी उन्होंने प्रार्थी के खिलाफ कार्यवाही की। प्रार्थी ने कोई गैरकानूनी कार्य नहीं किया है न ही प्रार्थी ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का कोई उल्लंघन किया है न ऐसा कोई मामला बनता है। वक्त निरीक्षण कोई स्वतंत्र गवाह भी नहीं बनाया गया है। मुकुट सिंह रिद्धि सिद्धी गैस एजेन्सी वाला है, जिसे सिलैण्डर सुपुर्दगी पर दिये गये है तथा महेशचंद सैनी उक्त गैस एजेन्सी वाले का ड्राईवर है, जो टेम्पू में सिलेण्डर भरकर ले गया था। इस तरह इस मामले का मौके का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कुल कार्यवाही गलत प्रकार से की गई है।

प्रार्थी कतई निर्दोष है। यदि जब्तशुदा गैस सिलैण्डर को रिलीज नहीं किया गया तो प्रार्थी को इसकी कीमत चुकानी पडेगी और प्रार्थी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अतः आपत्ति/जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के विरूद्ध उक्त कार्यवाही को निरस्त किया जाकर प्रार्थी को इससे मुक्त फरमाया जावे व जब्तशुदा गैस सिलैण्डर रिलीज कर प्रार्थी को दिलाये जाने के आदेश प्रदान किए जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर के अनुसार वक्त जांच मौके पर अप्रार्थी श्री सियाराम गुर्जर पुत्र श्री शिवराम गुर्जर की श्री राधे इलैक्ट्रीकल्स एवं बर्तन भण्डार, लोहिया का तिबारा स्थित दुकान पर 18 घरेलू गैस सिलेण्डर 1 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर एवं 1 अप्रमाणित गैस सिलेण्डर कुल 20 गैस सिलेण्डर अवैध रूप से संग्रहित मिले। जिनका व्यावसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। अप्रार्थी श्री सियाराम गुर्जर पुत्र श्री शिवराम गुर्जर वक्त जांच घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों के रखे जाने बाबत कोई विधिक

दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि अप्रार्थी श्री सियाराम गुर्जर पुत्र श्री शिवराम गुर्जर के द्वारा घरेलू सिलेण्डर व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोग किया जा रहा था, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है। जो आवश्यक वस्तुत अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद एवं उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किया जाता है, जप्तशुदा 18 घरेलू गैस सिलेण्डर 1 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर एवं 1 अप्रमाणित गैस सिलेण्डर कुल 20 गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा 18 घरेलू गैस सिलेण्डर 1 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर एवं 1 अप्रमाणित गैस सिलेण्डर कुल 20 गैस सिलेण्डर को सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)